Phoenix: International Multidisciplinary Research Journal
Vol 1, No. 3, July-Sep, 2023
ISSN:2583-6897

स्वतंत्रता पष्चात् भारतीय समाज में नारी– जागरण

राहुल कुमार

यू. जी. सी. नेट, शोध छात्र,

इतिहास विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

सार

अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो हम सभी भारतीय उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति से भली–भांति परिचित हैं। महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया गया? उसे पुरुषों के अधीनस्थ लिंग के रूप में कैसे माना जाता था? उसे केवल एक वस्तु के रूप में कैसे देखा गया? और इसी तरह कुछ ऐसे सवाल हैं जो आजादी से पहले के इतिहास का पता लगाने पर हमारे दिमाग में आते हैं। महिलाओं की स्थिति, यह विचार कि उन्हें किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार से नहीं गुजरना चाहिए, समान अधिकार और अवसर दिए जाने चाहिए और सम्मान और शिष्टाचार के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, ये प्रमुख चिंताएँ थीं। कई बार महिलाओं ने समानता के लिए प्रयास किया ताकि वह पुरुषों के बराबर जीवन जी सकें। यदि स्वतंत्र भारत में महिलाओं की स्थिति की बात करें तो इसमें निश्चित रूप से अपेक्षाकृत सुधार हुआ है। भारत में संरचनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तनों ने शिक्षा, रोजगार और राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं के लिए कई अवसर लाए हैं। इस तरह के बदलावों से अंततः महिलाओं के शोषण में कमी आती है क्योंकि उन्हें कुछ क्षेत्रों में पुरुषों के समान दर्जा दिया गया है। महिलाओं की स्थिति में सुधार की जांच आजादी के बाद कानून, आर्थिक क्षेत्रों, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन आदि क्षेत्रों में हुए बड़े बदलावों के आलोक में की जा सकती है। इस पत्र के माध्यम से स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय समाज में नारी – जागरण पर विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य–षब्दः *नारी जागरण; सामाजिक विधान; परिवर्त्तन; विकास।*

परिचय

यदि हम इतिहास के पन्नों को खंगालें तो कहीं भी पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार नहीं किया गया और उन्हें समान दर्जा नहीं दिया गया। महिलाएं हमेशा समाज में अपने अधिकारों और स्थिति के लिए लड़ती रही हैं। उन्होंने कई बार समानता के लिए आग्रह किया है ताकि वे पुरुषों के बराबर जीवन जी सकें। अगर स्वतंत्र भारत में महिलाओं की स्थिति की बात करें तो निश्चित रूप से इसमें सुधार हुआ है। भारत में संरचनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तनों ने शिक्षा, रोजगार और राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं के लिए कई अवसर प्रदान किए हैं। इस तरह के बदलावों से अंततः महिलाओं के शोषण में कमी आती है क्योंकि उन्हें पुरुषों के समान दर्जा दिया गया है। महिलाओं की स्थिति में सुधार का विश्लेषण उन प्रमुख परिवर्तनों के आलोक में किया जा सकता है जो आजादी के बाद कानून, आर्थिक क्षेत्रों, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन आदि क्षेत्रों में हुए हैं।

स्वतंत्रता के बाद भारत में महिलाओं की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। भारत के संविधान में अलग–अलग संस्थानों द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले विशेष कदमों का प्रावधान है। सामाजिक विधानों के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में एक त्वरित और प्रभावी परिवर्तन पर विचार किया गया। भारत का संविधान कुछ मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी देता है जैसे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। भारतीय महिलाएं इन अधिकारों की उसी तरह से लाभार्थी हैं जैसे भारतीय पुरुष। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है और अनुच्छेद 15 किसी भी

तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 16 (ए) केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन कार्यालय के रोजगार के संबंध में भेदभाव की मनाही करता है।[1]

आजादी के बाद के भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए कई कानून पारित किए गए। ये कानून पुरुषों के साथ समान अधिकार और विशेषाधिकार देने, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने, लिंगों के बीच असमानता को दूर करने और उनके आत्म–साक्षात्कार और विकास के रास्ते में आने वाली बाहरी बाधाओं को दूर करने के लिए लाए गए हैं।

स्वतंत्रता–पूर्व युग में महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दे

आजादी से पहले महिलाओं को समाज में मौजूद कई बुराइयों का सामना करना पड़ा जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह पर रोक, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, लड़कियों को शिक्षा न देना, बहुविवाह, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न आदि। हालाँकि कुछ गायब हो गए लेकिन कुछ अभी भी हमारे समाज में विद्यमान हैं जैसे कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, महिला दुर्व्यवहार आदि। इन सभी मुद्दों के बावजूद, हम यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि यह एक बड़ी उपलब्धि है लेकिन महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। हम आशा करते हैं कि समय बीतने के साथ, भारत महिलाओं के लिए एक सुरक्षित स्थान होगा।

स्वतंत्रता–पूर्व में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन

हालांकि स्वतंत्रता के समय, भारत के संविधान से पहले, राजा राम मोहन राय और ज्योतिराव गोविंदराव फुले जैसे भारतीय समाज सुधारकों के आग्रह पर ब्रिटिश शासकों द्वारा कानून की स्थिति में कुछ सुधार किए गए थे। ब्रिटिश शासन के खिलाफ देश की आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाली महिलाओं के मामले सामने आए हैं। चूंकि देश ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, 1927 में स्थापित एक गैर–सरकारी संगठन, ने महिलाओं के लिए रचनात्मक कार्यों में रुचि विकसित की। आजादी के बाद से महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता के कारण महिलाओं से संबंधित कुछ कानूनों को लागू किया गया। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं, महिलाओं और बच्चों में अनैतिक व्यापार का दमन अधिनियम 1954, विशेष विवाह अधिनियम 1954, संरक्षकता अधिनियम 1956, अंतरराज्यीय उत्तराधिकार अधिनियम 1956, अनाथालय और विधवा गृह अधिनियम 1960 और दहेज निषेध अधिनियम 1961।[2]

आजादी के बाद की महिलाएं

स्वातंत्र्योत्तर काल में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आया। समाज के भीतर उनकी स्थिति की चर्चा में, दो मुख्य पहलू हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, पहला कि महिलाएं किस हद तक अपने रहने की स्थिति को नियंत्रित कर सकती हैं और किस हद तक उनके पास निर्णय लेने का अधिकार है और वे अपने कार्य करते हैं और न्यूनतम प्रतिबंधों के बिना गतिविधियाँ भी करते हैं। भारतीय समाज में आधी आबादी महिलाओं की है। मानव संसाधन के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए, उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने, शैक्षिक अवसर प्राप्त करने, रोजगार में संलग्न होने और अपनी आजीविका को बेहतर तरीके से बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय नीति, 2001 को विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रणनीतियों में से एक माना जाता है और इसने सामाजिक–आर्थिक वातावरण में परिवर्तन का नेतृत्व किया। इन परिवर्तनों के साथ महिलाओं की स्थिति में भी परिवर्तन आया।

"मुझे यह सुनकर नफरत है कि आप सभी महिलाओं के बारे में इस तरह बात करते हैं जैसे कि वे तर्कसंगत प्राणियों के बजाय अच्छी महिलाएँ हों। हममें से कोई भी जीवन भर शांत जल में नहीं रहना चाहता।"[3]

– जेन ऑस्टेन, अनुनय

कैसे महिलाओं को पहचान मिली और उन्हें पुरुषों के बराबर माना गया?

ऐसा करने का श्रेय हमारे संविधान–निर्माताओं को जाता है जिनके प्रयास पहला कदम थे।

भारत का संविधान

भारतीय संविधान निम्नलिखित प्रावधानों के माध्यम से महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करता है–

समानता का अधिकार– संविधान महिलाओं सहित अपने सभी नागरिकों को समानता सुनिश्चित करता है (अनुच्छेद 14)। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि जाति, वर्ग, पंथ, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा (अनुच्छेद 15(1))।

रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए लिंग सहित भेदभाव के किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। (अनुच्छेद 16)।

राज्य महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ प्रदान करने की जिम्मेदारी लेगा (अनुच्छेद 42)।

पंचायतों में महिलाओं का एक–तिहाई आरक्षण – पंचायतों में महिलाओं के लिए अलग–अलग सीटें आरक्षित होनी चाहिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए अलग–अलग सीटें (अनुच्छेद 243 डी (3))।

पंचायतों के अध्यक्ष पदों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण – पंचायतों के सभी स्तरों (ग्राम पंचायत, तालुक पंचायत और जिला पंचायत) के सभी पदों के लिए महिलाओं की सीटों का आरक्षण (अनुच्छेद 243 डी (4))।

नगर पालिकाओं में एक तिहाई आरक्षण – सभी नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए अलग सीटें (अनुच्छेद 243 (टी) 3)। यह वाकई एक साहसिक कदम था। ग्रामीण महिलाएं भी अब कुछ राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम होंगी और शहर और गांव के मामलों के लिए निर्णय लेने में भूमिका निभाएंगी।

इसके अलावा, वे वोट देने के हकदार हैं और उन्हें अन्य विशेष लाभ प्रदान किए जाते हैं। संविधान महिलाओं को शोषण से बचाता है और यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें किसी भी क्षेत्र में समान अधिकार और अवसर दिए जाएं।

महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाला विधान

- हिंदू विवाह अधिनियम 1955 – अधिनियम महिलाओं को तलाक और पुनर्विवाह के समान अधिकार प्रदान करता है। साथ ही, अधिनियम बहुविवाह, बहुपतित्व और बाल विवाह पर रोक लगाता है।

- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 – अधिनियम महिलाओं को माता–पिता की संपत्ति पर अधिकार और दावा प्रदान करता है।

• द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, 1956 – यह एक निःसंतान महिला को बच्चा गोद लेने का अधिकार प्रदान करता है और एक तलाकशुदा महिला को अपने पति से भरण–पोषण का दावा करने का अधिकार प्रदान करती है।

• विशेष विवाह अधिनियम, 1954 – यह महिलाओं को अंतर–जातीय विवाह, प्रेम विवाह का अधिकार प्रदान करता है और केवल 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों को ही इसकी अनुमति है।

• दहेज निषेध अधिनियम, 1961 – यह दहेज लेने को गैरकानूनी गतिविधि घोषित करके महिलाओं को शोषण से बचाता है।

शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं

स्वतंत्रता के बाद, महिलाओं के शैक्षिक अधिकारों को बढ़ावा दिया गया और उन्हें शिक्षा के मूल्य से अवगत कराया गया। तब से उच्च अध्ययन और शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं के अनुपात में धीरे–धीरे सुधार हुआ है। सरकार ने महिलाओं को छात्रवृत्ति, ऋण सुविधा, छात्रावास की सुविधा आदि जैसे कई लाभ प्रदान किए, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर जाना चाहती थीं। इस तरह के लाभ प्राप्त करने से आज बड़ी संख्या में महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हैं।[4]

अकेले महिलाओं के लिए अलग स्कूल और कॉलेज स्थापित किए गए हैं। अलग विश्वविद्यालय भी स्थापित किए गए हैं जो आज के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शामिल हैं और मेरिट रैंक प्राप्त करने वाली लड़कियों को प्रवेश देते हैं। भारत में विशेष रूप से लड़कियों के लिए कई इंजीनियरिंग और मेडिकल विश्वविद्यालय हैं जो उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करते हैं और उनके करियर को बढ़ाने में मदद करते हैं।[5]

आर्थिक और रोजगार के क्षेत्र में महिलाएं

कामकाजी महिलाओं की संख्या में भी लगातार वृद्धि हुई है। भारत के सभी प्रमुख शहरों में शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, अधिवक्ता, पुलिस अधिकारी, बैंक कर्मचारी, आईएएस, आईपीएस जैसे सभी पदों पर महिलाओं की भर्ती की गई है। 1991 से महिलाओं को सशस्त्र बलों के 3 विंगों में भर्ती किया गया है जो सैन्य, वायु सेना और नौसेना बल हैं। समाज में महिलाओं की भागीदारी सबसे उल्लेखनीय मानी जाती है और यह मुख्य रूप से बदलते मूल्यों के कारण है।[6]

महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना

स्वतंत्र भारत में महिलाओं के पास अधिकतम अधिकार हैं लेकिन उनमें से कई अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं हैं। अशिक्षित महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव होता है। प्रो. राम आहूजा द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वे उन नीतियों और कानूनों से अनभिज्ञ हैं जो उन्हें लाभ पहुंचाते हैं।

महिलाओं के लिए चुनौतियां

कार्यस्थल के भीतर यौन उत्पीड़न – महिलाओं ने काफी हद तक कार्यस्थल के भीतर यौन उत्पीड़न का अनुभव किया है। इसने न केवल उन्हें असुरक्षित महसूस करने में सक्षम बनाया है, बल्कि उन्हें अपनी नौकरी छोड़ने के लिए भी मजबूर किया है। नियोक्ताओं को निवारक कदम उठाने की आवश्यकता है जो कार्यस्थल के भीतर इस अधिनियम को प्रतिबंधित करता है।

लैंगिक पक्षपात– लिंग आधारित मतभेद और हिंसा का प्रसार न केवल भारत में बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी हुआ है। लैंगिक मुद्दों को महिलाओं द्वारा अनुभव की जाने वाली एक गंभीर समस्या माना जाता है। कुछ मामलों में, जब महिला और पुरुष दोनों संगठनों में कार्यरत होते हैं, महिलाओं को समान कार्य कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए पुरुषों के समान वेतन नहीं दिया जाता है, इसलिए वे वेतन के मामले में भेदभाव का अनुभव करती हैं। महिलाओं को शारीरिक कार्यों में नियोजित नहीं किया जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि उनके पास शारीरिक कार्य करने की क्षमता नहीं है। इसलिए, पुरुषों को मैनुअल जॉब ड्यूटी सौंपी गई थी।

प्रचार के अवसरों की कमी – प्रचार के अवसरों को उन लोगों के रूप में माना जाता है जो हर समय व्यक्ति की इच्छा रखते हैं। अनुसंधान ने संकेत दिया है कि जब उन्हें भर्ती किया जाता है, तो हो सकता है कि वे अपने कार्य को सुखद न पाएं। यहां तक कि जब कर्मचारी अपनी नौकरी से संतुष्ट महसूस नहीं करते हैं, तब भी उन्हें अपने रहने की स्थिति को बनाए रखने के लिए आय उत्पन्न करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। महिलाओं के विभिन्न कार्यालयों, संगठनों और अन्य स्थानों पर लंबे समय तक कार्यरत रहने के मामले सामने आए हैं, लेकिन उन्हें पदोन्नति के अवसर नहीं मिले हैं।[7]

महिला विकास के लिए रणनीतियाँ

महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने और व्यापक बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया राष्ट्रीय दस्तावेज 3 रणनीतियों के महत्व पर प्रकाश डालता है–

महिलाओं की अधिक राजनीतिक भागीदारी प्राप्त करना – दस्तावेज़ में उल्लेख किया गया है कि राजनीति के क्षेत्र में प्रभावी भागीदारी प्राप्त करने के लिए 33 प्रतिशत विधायी सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए।[8]

महिलाओं के लिए आय–सृजन योजनाएं – दस्तावेज़ के अनुसार, आय–सृजन योजनाएं शुरू की जानी चाहिए। कुछ योजनाएँ हैं – IRDP, जवाहर रोज़गार योजना और TRYSEM। महिला साक्षरता स्तर में वृद्धि – सरकार का मानना है कि सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों के बीच उचित समन्वय से महिलाओं की साक्षरता दर में सुधार करने में मदद मिलेगी जो उन्हें आगे चलकर आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी।[9]

निष्कर्ष

संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि यद्यपि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कुछ हद तक सफल हुए हैं, फिर भी बहुत कुछ प्राप्त करना बाकी है। दहेज प्रथा, लड़के की इच्छा, बलात्कार जैसी अधिकांश सामाजिक कुरीतियाँ अभी भी समाज में विद्यमान हैं, जो दिन–प्रतिदिन बढ़ रही हैं, केवल नैतिक शिक्षा और कड़ी कानूनी कार्रवाई के माध्यम से ही समाप्त की जा सकती हैं। यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हम गर्वित भारतीय हैं क्योंकि हमारी महिलाएं न केवल ओलंपिक में बल्कि हर क्षेत्र में हमें गौरवान्वित कर रही हैं, यह केवल हमारे भारतीय नागरिकों के प्रयासों के कारण है। ऐसी उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारतीय महिलाएं भारत और उसके बाहर भी शीर्ष स्थान हासिल करेंगी।

संदर्भ

1. कपूर, राधिका, 2009 (स्वतंत्रता के बाद भारत में महिलाओं की स्थिति), रिसर्च गेट।

2. सहगल, दिगंत राज, 2019 (स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति), याचिकाकर्ता।

3. सिंह, रेखा, (भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति), पेडिया परियोजना।

4. इंडिया टीवी न्यूज डेस्क, 2016 (भारत में 5 सामाजिक बुराइयां जो आज भी कायम हैं)

5. मजूमदार, वीना – "समानता के लिए शिक्षा", न्यू क्वेस्ट, 3 सितंबर 1977

6. पाठ्यचर्या के माध्यम से महिलाओं की स्थिति – एनसीईआरटी, आरटी, 1985 परिशिष्ट I, पृ. 95

7. महिला एनजीसी की रिपोर्ट)' (राष्ट्रीय ᵖ परामर्श, नई दिल्ली, अप्रैल 1985।

8. शिक्षा चुनौती – एक नीति परिप्रेक्ष्य, भारत सरकार, 1985

9. शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति, 1986, भाग IV, पैरा 4.1, पृ. 6